(79)

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– रामनगर मे बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11.02.2021 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ललित मोहन जोशी राजस्व विभाग की ओर से श्री तारा चन्द्र घिड़ियाल प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मोहन राम आर्य द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.120 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 एवं नाप भूमि शून्य हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से नगरपालिका, रामनगर व निकटवृत्तीय क्षेत्रों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 04 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त परियोजना के निर्माण हेतु बस पोर्ट के उत्तर पूर्व किनारे से लगी वन भूमि को उपयुक्त पाया गया, इस भूमि के अन्दर एक वन चौकी स्थित है। जिसमें वर्तमान मे परिवार निवास करता है। परियोजना के निर्माण मे उक्त चौकी प्रभावित होगी। **जिसका क्षतिपूर्वक भुगतान वन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।**

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी) संचालक
परिवहन निगम

ह0/–
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/–
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/–
(जिलाधिकारी)

ह0/–
(प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

ह0/–
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)
उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनी0)

(मो0 अकरम)
ह0/–
(नगर पालिका अध्यक्ष, रामनगर)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, रामनगर,

जिलाधिकारी
नैनीताल.